राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–5,ग्रामीण विकास)

क्रमांक प. 27(36) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर सॉफ./2015–16 जयपुर दिनांक 27.08.2015

1/9/15

कार्यवाही विवरण

विभाग द्वारा विकसित बीएसआर सॉफ्टवेयर में नवीन आईटम जोड़े जाने एवं बीएसआर सॉफ्टवेयर विश्लेषण में विसंगतियों आदि के संबंध में दिनांक 17.08.2015 को अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) ग्रामीण विकास के कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी द्वारा भाग लिया गया:–

1. श्री मुकेश महेश्वरी, अधीक्षण अभिंयता (प्रो.), पंचायती राज।
2. श्री लोकेश पुनियॉ, परि.अधि. (अभि.), ग्रावि।
3. श्री अरविन्द सक्सैना, अधि. अभि. नरेगा, ग्रावि।
4. श्री रामनिवास शर्मा, अधी.अभि. जि.प. चुरू।
5. श्रीमती सगीता सोलकी, अधि.अभि. (अभि.), जि.प. बीकानेर।
6. श्री राजेश बंन्सल, अधि.अभि. (नरेगा.), जि.प. टोंक।
7. श्री रामबाबू शर्मा, अधि.अभि. (अभि.), जि.प. सीरोही।
8. श्री लोकेश दाधीच अधि.अभि. (अभि.), जि.प. कोटा।
9. श्री महेश चन्द परेवा, अधि.अभि. जि.प. बांरा।
10. श्री मदन कुमार गोदारा, सहायक परियोजना अधिकारी, जि.प. हनुमानगढ।
11. श्री ओमप्रकाश परिहार, सहा. अभि. जि.प. जोधपुर।
12. श्री आलोक वैष्णव, सहा.अभि. जि.प. भीलवाडा।
13. श्री महेन्द्र थापलीयाल, सहा. अभि.ईजिस जि.प. जयपुर।
14. श्री ओपी शर्मा, सहा. अभि. ग्रावि।
15. श्री पीयूष शर्मा, एमआईएस मैनेजर, (साफ्टवेयर), मुख्यालय।

बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य बिन्दु एवं लिए गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है:–

1. बैठक में अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) द्वारा विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर एवं दर विश्लेषण के सम्बंध में विस्तार से बताया गया। साफ्टवेयर स्टेट्स के अनुसार 295 पंचायत समिति मे से 294 पंचायत समिति में साफ्टवेयर बीएसआर अनुमोदित है, मात्र एक पंचायत समिति गोविन्दगढ (जयपुर) की बीएसआर अुनमोदित नही है, इस सम्बंध में सहा. अभि. नरेगा जिला परिषद जयपुंर ने अवगत कराया की गोविन्दगढ की बीएसआर पूर्व अनुमोदित की हुई है। अधीक्षण अभियन्ता (प्रो) पंचायती राज द्वारा इस सम्बंध मे पूर्व में अधि. अभि. (अभि) जि.प जयपुर को निर्देशित करने के उपरान्त भी स्टेट्स अपडेट नही होने की स्थिति को गंभीरता से लेत हुए समुचित कार्यवाही करने व स्टेट्स साफ्टवेयर में अपडेट /संशोधन कराने हेतु पुनः सहा. अभि. नरेगा जिला परिषद जयपुर को निर्देशित किया गया।
2. बीएसआर सॉफ्टवेयर में नवीन आईटम जोड़े जाने एवं बीएसआर सॉफ्टवेयर विश्लेषण में विसंगतियों एवं परिवहन के विवादित विश्लेषण के गुणाक आदि के संबंध में विस्तार से

चर्चा की गई। पूर्व मे जिलो से प्राप्त प्रस्ताव / पत्रों के अनुसार नवीन आईटम व विसगत आईटमों के विश्लेषण का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी प्रति सभी सदस्यो को भी उपलब्ध कराई गई है, आईटमो के विश्लेषण का इस वर्ष साफ्वेयर मे जोडा जाना सम्भव नही होगा, क्योकि पंचायत समितियो में बीएसआर सृजित कर टैन्डर आदि प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। अतः इन आईटमो को आगामी वर्ष में साफ्टवेयर बीएसआर में सम्मलित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान बीएसआर साफ्टवेयर मे जोडे जाने वाले नवीन आईटमो का चिन्हीकरण एवं उनके दर विश्लेषण का गहनता से परीक्षण/जॉच कर अन्तिम रूप निर्धारण किया जाना आवश्यक है। यह कार्य अधीक्षण अभियंता (प्रो.), पंचायती राज के माध्यम से साफ्टेयर विश्लेषण व अन्य विवरण आदि का श्री ओपी परिहार सहा. अभि. जि.प. जोधपुर व श्री लोकेश दाधीच अधि. अभि. जि. प कोटा द्वारा पूर्ण परीक्षण कर व्यवहारिक व उचित आईटमो का चिन्हिकरण कर साफ्टवेयर फोरमेट के निर्धारित प्रारूप में विश्लेषण आदि पूर्ण विवरण 15 दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा जिसका श्री राजेश बंसल अधि. अभि. नरेगा जि. प. टोक व श्री राम बाबू शर्मा अधि. अभि. जि.प. सिरोही द्वारा पुन परिक्षण/अन्तिम रूप देते हुए पूर्ण विवरण/आधार सहित आईटमवार दर विश्लेषण अधीक्षण अभियंता, ग्रावि को 1 माह में प्रस्तुत किया जावेगा। विभागीय अनुमोदन पश्चात आगामी वर्ष की बीएसआर साफ्टवेयर में जोडा जा सकेगा।

3. इस वर्ष विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.05.2015 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप परिवहन व अन्य आईटमो आदि के लिए पूर्व वर्ष में अपनाई गई प्रकिया अनुसार ही दर व कर लिया गया।
4. इन्टर लोकिंग सीमेंन्ट कंक्रीट ब्लाक का फर्श/सडक निर्माण कार्य के आईटम का वर्तमान साफ्टवेयर विश्लेषण वर्तमान प्रचलन से सही नही है अत इस आईटम के विश्लेषण को दो अलग अलग आइटमेा मे विभक्त किया जावे। यह कार्य उक्त उपसमिति द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर फारमेट प्रारूप में तैयार कर 1 माह में विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
5. अधि. अभि. जि.प. बारां द्वारा फ्लाईऐश से निर्मित ईटों का विभिन्न येाजनाओ के निर्माण कार्या में उपयोग करने व इस आईटम को बीएसआर साफ्टवेयर मे जोडने के प्रस्ताव पर विस्तार पर चर्चा की गई। फ्लाईऐश से निर्मित ईटेां का सार्वजनिक निर्माण विभाग की तर्ज पर विभागीय निर्माण कार्यो में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण की बीएसआर मे समंधित आईटमो की दर में से ठेकेदार लाभ (10%) राशि कम कर निर्माण कार्यो में उपयोग लिया जावे। विभागीय बीएसआर साफ्टवेयर में जोडने हेतुं निर्धारित साफ्टवेयर फारमेट प्रारूप में सामग्री व सम्बंधित दर विश्लेषण का सुस्पष्ट व पूर्ण विवरण मय आधार के अधि. अभि. जि. प. बांरा द्वारा 15 दिवस/ आगामी तकनिकी अनुमोदन समिति की बैठक में चर्चा के पूर्व परीक्षण हेतु बिन्दु संख्या 2 मे वर्णित अभियन्ता को उपलब्ध कराये जावे।
6. श्री सम्पतराम सुराणा के पेटेन्ट आईटम /सामग्री वेस्ट मार्बल स्लरी से निर्मित "लो कोस्ट श्रीबाईण्डर" का उपयोग निर्माण कार्यो में उपयोग करने बाबत अधी. अभि.(प्रो.) पंचायत राज विस्तार से चर्चा की गई। श्री सम्पतराम सुराणा के ज्ञापन के अनुसार इस सामग्री का उपयोग मात्र गैरभार वहन वाले निर्माण कार्य पर ही हो सकता है, जैसे की चारदिवारी निर्माण । यह आईटम/ सामग्री का उपयोग क्षेत्र विशेष यथा राजसमन्द व उदयपुर में ही उपयोग में लिया जाता है एवं इस जिलो की पूर्व वर्ष की बीएसआर में यह आईटम व विश्लेषण सम्मिलित किया हुआ है। अतः इस सम्बंध मे सामग्री का पूर्ण तकनीकी विवरण एवं

उपयोग के सम्बंधित आईटम का विश्लेषण उक्त जिले राजसमन्द व उदयपुर से प्राप्त किया जावे। इस के साथ ही सामग्री के उपयोग सम्भावित विभागीय विकास/ निर्माण कार्य की भी सूची प्राप्त की जावें। तदनुपरान्त आगामी बैठक में चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

7. खाला कवरिग के आईटम में बीकानेर जिले में आर.सीसी कार्य हेतु शटरिग का कार्य मे लोहे के फ्रेम का उपयोग किया जाता है, इस हेतु शटरिग का उपयुक्त साईज निर्धारित कर आईटम का पूर्ण दर विश्लेषण की आवश्यकता नही है। इस आईटम का कन्टीजेंसी से भुगतान किया जा सकता है।

8. अधिक पक्की ईटों के खराजा निर्माण के आईटम (खडी/पट ईट) में एक वर्गमीटर में प्रयुक्त वास्ततिक ईट की सख्या आदि के निर्धारण बाबत श्री रामनिवास शर्मा अधि. अभि. जि.प. चूरू के स्तर पर जिले मे प्रगतिरत कार्य स्तर पर एक कार्य मोशन स्टेडी आयोजित कर रिपोर्ट मय पूर्ण विवरण पर विभाग को प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये।

9. अधी. अभि. (प्रो.) अधि. अभि. नरेगा द्वारा धोलपुर जिले में करवाये जा रहे पत्थर खंरजा निर्माण मय नाली कार्य के तकनीकी मापदण्ड व मॉडल तकमीना पर विस्तार से चर्चा की गई। पत्थर निर्माण खंरजा निर्माण कार्य में पत्थर खरजा (15 सेमी मोटाई) के नीचे सीमेन्ट ककरीट 1:5:10 प्रस्तावित की है, जो की तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नही है। पत्थर खरजा के नीचे मात्र मिट्टी कार्य के उपर जीएसबी या मोरम 10 सेमी कुटाई के बाद अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया। सिर्फ जल भराव /वाटर लॉगिग क्षेत्र में ही जिले के प्रस्ताव अनुसार मिटटी के कार्य के साथ–साथ 10 सेमी मीटर सीमेन्ट ककरीट 1:5:10 में आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

10. अधीक्षण अभियंता (प्रो.) पंचायती राज द्वारा पेयजल सम्बंधित आईटमो के सम्बंध में जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग के सहा. अभि. के स्तर से तैयार करवाये गये सामग्री/ उपकरणों की सूची बाबत विस्तार से चर्चा की गई एवं यह भी अवगत कराया गया की इन आईटमो का दर विश्लेषणा उपलब्ध नही है। इन आईटमो को सामग्री/उपकरणों की सूची में जोडा जाना प्रस्तावित किया है। सहा. अभि. द्वारा तैयार सूची/विवरण आदि श्री राजेश बंसल, अधि. अभि. जि. पं. टोक के स्तर पर फाईनल किया जावेगा। साफ्टवेयर मे जोडे जाने हेतु उपयुक्त सामग्री/उपकरण की सूची विभाग को 15 दिवस में विभाग को उपलब्ध करायी जावे।

11. सीमेन्ट कंक्रीट रोड की सडक की साइड मे की गई शटरिग के भुगतान हेतु विस्तार से चर्चा की गई। मीटिग में यह निर्णय लिया गया कि इस गतिविधि का भुगतान अलग से देय नही है।

बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) एवं
सदस्य सचिव, तकनीकी अनुमोदन समिति

E-OFFICE No.21571.
DATE....5.5.15.......

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला दर निर्धारण समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पंचायती राज।
4. अतिरिक्त निदेशक ज.ग्र.वि. एवं भू– संरक्षण विभाग, कृषि भवन जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास।
6. परियोजना निदेशक (मो.एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, (प्रो.) पंचायती राज ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, एसएपी, ग्रावि।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
11. अधीशाषी अभियन्ता(अभि.) सदस्य सचिव जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) एवं सदस्य सचिव,
तकनीकी अनुमोदन समिति

Program
5/3/15